तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
26.7.15	अपर प्रमालती राजस्व लोक अदालत अभिभाषक नगर अपने कार 2015 क्रम पेडिंग में प्रस्तुत हुई। प्रमालती का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीया ने दिनांक 12.11.14 को एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के बाद - न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी अभियोजी को तलबी करवाने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वि० अ० पक्षकारान की सह खातेदारी की भूमि है जिसके विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। कानून अविभाजित भूमि में सभी हिस्सेदारान का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है तथा सह खातेदार को स्टे से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करते हुए दिनांक 12.11.14 को जारी अंतरिम-अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। प्रमालती फैसल शुमार होकर दस्त वाद के साथ संलग्न रहे।

हरराज पारीवाल)
अपर जिला कलेक्टर अधिकारी
नगर (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.05 12:32:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner